

भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगापुर सिटी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 समिति

कार्यालय आदेश

दिनांक 16.07.2025

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत समिति का गठन।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 समिति से संबंधित कार्यों के सुचारु संचालन हेतु समिति में निम्नलिखित अधिकारियों/धर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है।

- 1 लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer – PIO) - श्री विपिन बिहारी शर्मा (असि-प्रोफेसर)
- 2 सहायक लोक सूचना अधिकारी (Assistant PIO – APIO) - श्रीमती रीवा देवी (असि-प्रोफेसर)
- 3 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority – FAA) - डॉ कृष्ण कान्त शर्मा (प्राचार्य)

कार्य:-

- 1 लोक सूचना अधिकारी – आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करना एवं समयबद्ध (30 दिवस) में सूचना उपलब्ध कराना। संबंधित विभागों से सूचना एकत्र करना। अभिलेखों का संधारण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- 2 सहायक लोक सूचना अधिकारी – आरटीआई आवेदन प्राप्त कर लोक सूचना अधिकारी (PIO) को अग्रेषित करना। आवेदकों को प्रक्रिया संबंधी सहायता प्रदान करना।
- 3 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी – लोक सूचना अधिकारी (PIO) के निर्णय/सूचना से असंतुष्ट आवेदकों की अपील सुनना। 30-45 दिनों के भीतर अपील का निस्तारण करना।

निर्देश:-

सभी विभागाध्यक्ष आवश्यक अभिलेखों का अद्यतन रखेंगे। सूचना प्रदान करने में विलंब न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



प्राचार्य

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

प्राचार्य

भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
गंगापुर सिटी (स० मा०)



भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

चूली गेट, मिर्जापुर रोड, गंगपुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर (राज०)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा बी+ ग्रेड प्राप्त)

क्रमांक : भ.शि.प्र.म./गंगपुर सिटी/.....2610.....

दिनांक.....14/02/2024.....

कार्यालय आदेश

भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगपुर सिटी, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निम्न अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं-

सूचना अधिकारी	-	श्री विपिन बिहारी शर्मा
प्रथम अपीलीय अधिकारी	-	प्राचार्य, डॉ. कृष्ण कान्त शर्मा


प्राचार्य

प्राचार्य
भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
गंगपुर सिटी (स० मा०)